

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI**

**O.A. NO. 545 OF 2022**

**IN THE MATTER OF**

**IN RE: "EXPLOSION IN BIHAR ILLEGAL FIRECRACKER UNIT KILLS FIVE".**

**INDEX**

<b>Sl. No.</b>	<b>Particulars</b>	<b>Page No.</b>
<b>1.</b>	<b>Written submission on behalf of Bihar State Pollution Control Board.</b>	<b>1-4</b>
<b>2.</b>	<b>Annexure-1: Copy of Inspection report dated 25.07.2022</b>	<b>5-11</b>

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI**

**O.A. NO. 545 OF 2022**

**IN THE MATTER OF**

**IN RE: "EXPLOSION IN BIHAR ILLEGAL FIRECRACKER UNIT KILLS FIVE".**

**Written Submission on behalf of Bihar State Pollution Control Board, Patna.**

I, S. Chandrasekar, aged about 45 years, Son of Mr. S. Subramani, residing at B-202, Amarkunj Apartment, Vivekanand Marg, -Patna-800013, Bihar, do hereby state as follows:-

1. That I am posted as Member Secretary, Bihar State Pollution Control Board, Patna and as such I am well aware of the facts and circumstances of the present matter.
2. That the instant proceedings have been initiated based on media report that 5 persons died in a firecracker unit blast in Bihar's Saran district.
3. That the State Board on knowing about the blast immediately directed the Concerned Regional Officer, Muzzafarpur, to inspect the place of

occurrence of blast and identify the reasons for blast and the persons responsible.

4. That the said Regional officer caused the inspection of the blast site on 25.07.2022 and found that the site of blast is at village- Khudai Bagh Market; P.O. Khudai Bagh; P.S. – Khera, District- Saran. The locals, without disclosing their name, informed that sons of Teni Miya (dead) namely Riyazul Miya, Sabir Ali & Mulajim Miya along with their family were engaged in manufacture & sale of firecrackers from their house itself. On the day of incident fire broke out in their house and consequently LPG cylinder blasted and resultantly four members of their family & one neighbor died. Further, two children's and one shop owner Asraf Ali also got injured. The blast occurred on 24.07.2022 at 10:30 a.m.

A copy of the inspection report is annexed and marked as Annexure-

1.

5. That the house where blast occurred is a single storey building where firecrackers were manufactured and sold. Post blast the said house got completely destroyed and building debris material of the said house fell on few adjacent shops/houses situated which got damaged as well.
6. That the inspecting officer interacted with the Station-House-Officer of the concerned Khera police station, when it came to light that members of one family were engaged in manufacturing & sale of firecracker illegally from the said house. In blast five person namely Sabana, Sabir Ali, Mulajim Ali, Mita Begum & Shahzad Hussain died and Sona Khatoon, Tanuja Khatoon and Ashraf got injured.
7. That it is humbly submitted that it is not the case where a blast has occurred in a well-established industrial unit, rather it is case where one family without any clearance from any concerned authority were illegally running business of manufacturing & sale of firecrackers from their residential house as a household activity.

8. That the concerned Regional Officer, Muzzafarpur region, Bihar State Pollution Control Board, after site inspection and interaction with the concerned Station-House-Officer, filed a complaint case against Riyazul & other in the Court of the learned CJM, Saran, under Section 44 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974; Section 37 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 & Section 15 of the Environment (Protection) Act, 1986.
9. That I have read the contents of the written submission and have understood the same.

  
DEPONENT  
(S. CHANDRASEKAR)  
Member Secretary  
Bihar State Pollution Control Board  
Patna



# बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

औद्योगिक प्रांगण, बेला, मुजफ्फरपुर-842005

पत्रांक: 1537

दिनांक: 26.07.2022

प्रेषक,

क्षेत्रीय पदाधिकारी,  
मुजफ्फरपुर।

सेवा में,

सदस्य सचिव,  
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्,  
पटना।

विषय:-

सारण जिला में अवस्थित खुदाई बाग मार्केट, पो0-खुदाई बाग, थाना-खैरा में अवैध पटाखा निर्माण स्थल पर दिनांक: 24.07.2022 को हुये बिस्फोट के आलोक में निरीक्षण प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार सारण जिला में अवस्थित खुदाई बाग मार्केट, पो0-खुदाई बाग, थाना-खैरा में अवैध पटाखा निर्माण स्थल पर दिनांक: 24.07.2022 को हुये बिस्फोट के आलोक में स्थल निरीक्षण दिनांक: 25.07.2022 को श्री अशोक कुमार, स0वै0पदा0 द्वारा किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन एतद् द्वारा संलग्न कर आवश्यक कारवाई हेतु भेजी जा रही है।

निरीक्षण प्रतिवेदन के आलोक में इकाई संचालक श्री रेयाजुल उर्फ निरहुआ, पिता स्व0 रहमतुल्ला उर्फ टेनी मियों, ग्राम-खुदाई बाग मार्केट, पो0-खुदाई बाग, थाना-खैरा, जिला-सारण के विरुद्ध वैधानिक कारवाई की जा सकती है।

अनु0:-यथो0

विश्वासभाजन  
प्र. कुमार  
26/7/22

क्षेत्रीय पदाधिकारी  
मुजफ्फरपुर।

## निरीक्षण प्रतिवेदन

निरीक्षण की तिथि: 25.07.2022

निरीक्षण पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम: श्री अशोक कुमार, सहायक वैज्ञानिक पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।

विषय: ग्राम-खुदाई बाग मार्केट, पो0-खुदाई बाग, थाना-खैरा में अवैध रूप से पटाखा निर्माण स्थल  
में दिनांक: 24.07.2022 को 10:30 बजे पूर्वाह्न में हुए बिस्फोट के संबंध में।

पटाखा उत्पादनकर्ता का नाम एवं पता: श्री रेयाजुल उर्फ निरहुआ, साबीर तथा मुलाजीम मियों, पिता-स्व0 रहमतुल्ला उर्फ टेनी मियों, ग्राम-खुदाई बाग मार्केट, पो0-खुदाई बाग, थाना-खैरा, जिला-सारण।

घटना स्थल की विवरण:

1. घटनास्थल आवासीय-सह-व्यवसायिक क्षेत्र में अवस्थित है, जो खैरा थाना के अन्तर्गत आता है। घटनास्थल: खुदाई बाग, जामा मस्जिद, ओल्हनपुर रोड (पुल के पास), पो0-खुदाई बाग, थाना-खैरा, जिला-सारण (Latitude- 25.8814, Longitude- 84.8090) में अवस्थित है।
2. घटना के संबंध में स्थानीय निवासियों द्वारा अपना नाम जाहिर न करते हुए बताया गया कि टेनी मियों (मृत) के बेटे रेयाजुल मियों, साबिर अली तथा मुलाजीम मियों परिवार के साथ जिस घर में रहते थे, उनलोगो के द्वारा उसी घर में अवैध रूप से पटाखा निर्माण कार्य किया जा रहा था। घटना वाले दिन खाना बनाने के दौरान पटाखों में आग लग गयी जिसके बाद घर में रखा हुआ सिलेन्डर में भी बिस्फोट हो गया। बिस्फोट के कारण उनके परिवार के चार लोग एवं एक पड़ोसी जो उस समय घर में उपस्थित थे, की मौत हो गयी तथा दो बच्चा घायल हो गया। तथा बगल में अवस्थित दुकानदार असरफ भी घायल हो गया। यह बिस्फोट दिनांक: 24.07.2022 को 10:30 बजे पूर्वाह्न में हुआ था।
3. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि घटनास्थल पर एक मंजिला पक्का मकान जिसके अन्दर अवैध पटाखा निर्माण किया जा रहा था। बिस्फोट के बाद पक्का मकान बिल्कुल ध्वस्त हो चुका था तथा अगल बगल में मलबा बिखरा हुआ था। बिस्फोट के दौरान मलवा उड़कर सामने में अवस्थित लकड़ी से निर्मित गुमटी नुमा दुकान में भी गिरा जिसके कारण गुमटी भी ध्वस्त हो गया था तथा उस समय दुकान में उपस्थित अशरफ भी घायल हो गया एवं बगल में स्थित जामा मस्जिद में भी लगा है। जिसका निशान निरीक्षण के दौरान देखा गया।
4. घटनास्थल की चौहदी :-  
पुरब:- रोड + नदी का किनारा  
पश्चिम:- नदी का किनारा + आवासीय मकान  
उतर:- नदी  
दक्षिण:- जामा मस्जिद+खुदाई बाग मार्केट।
5. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि घटनास्थल के पास जिला प्रशासन द्वारा 6-7 की संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर घटनास्थल को शील कर दिया गया था। घटना के आस पास की सारी दुकाने बन्द पायी गयी।
6. निरीक्षण के दौरान खैरा थाना प्रभारी श्री विजय कुमार चौधरी (मो0 9608815123) से बार्ता हुई जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि स्व0 रहमतुल्ला उर्फ टेनी मियों के लड़के रेयाजुल उर्फ निरहुआ, साबिर तथा मुलाजीम मियों पटाखा कारोबार से जुड़े थे। बिस्फोट के कारण रेयाजुल उर्फ निरहुआ की पत्नी सबाना, साबिर अली, मुलाजीम अली तथा इनकी पत्नी मीता बेगम और शाहजाद हुसैन पिता सैराजुदीन की भी मौत हो गयी तथा उन्ही के पुत्र एवं पुत्री सोना खातुन, तनुजा खातुन तथा असरफ घायल हो गये। घायलों को सदर अस्पताल छपरा ईलाज के लिए रेफर किया गया है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि साबिर अली एवं मुलाजीम मियों (मृतक), रेयाजुल उर्फ निरहुआ, पिता स्व0 रहमतुल्ला उर्फ टेनी मियों एवं अन्य आस-पास पटाखा व्यवसाय करने वाले को नामजद अभियुक्त बनाकर उनके विरुद्ध अग्रेतर कारवाई की जा रही है। अभियुक्त रेयाजुल उर्फ निरहुआ, पिता स्व0 रहमतुल्ला उर्फ टेनी मियों, ग्राम-खुदाई बाग मार्केट, पो0-खुदाई बाग, थाना-खैरा, जिला-सारण को गिरफ्तार कर लिया गया है।
7. **अभियुक्त:** उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि पर्षद से बिना स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति आदेश प्राप्त किये आवासीय क्षेत्र में पटाखो के विनिर्माण का कारखाना लगाकर संचालन किया जा रहा था। जो जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत अवैध है। पटाखा के निर्माण एवं भंडारण करने वाले इकाई को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की औद्योगिक वर्गीकरण सूची में "लाल श्रेणी" कम संख्या: 14 में सूचीबद्ध किया गया है। संचालक मुलाजीम अली तथा साबिर अली की मृत्यु हो चुकी है।
8. **अनुसंशा:** इकाई संचालक श्री रेयाजुल उर्फ निरहुआ, पिता स्व0 रहमतुल्ला उर्फ टेनी मियों, ग्राम-खुदाई बाग मार्केट, पो0-खुदाई बाग, थाना-खैरा, जिला-सारण के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा के तहत Proposed Closure Direction निर्गत किया जा सकता है।  
निरीक्षण के दौरान लिये गये Geo-Tagged Photograph संलग्न है।

Ashok Kumar  
26/07/2022  
(अशोक कुमार)  
स्व0पदा  
मुजफ्फरपुर



Jul 25, 2022 12:12:49 PM  
25.8815N 84.8091E  
Takia  
Saran  
Bihar



Jul 25, 2022 12:13:47 PM  
25.8814N 84.8090E  
Warsi Bridge Road  
Takia  
Saran  
Bihar



Jul 25, 2022 12:13:21 PM  
25.8814N 84.8090E  
Warsi Bridge Road  
Takia  
Saran  
Bihar



Jul 25, 2022 12:14:48 PM  
25.8814N 84.8089E  
Takia  
Saran  
Bihar



Jul 25, 2022 12:11:57 PM  
25.8816N 84.8090E  
Garkha Khidaibagh Road  
Maksuspur  
Saran  
Bihar



Jul 25, 2022 12:14:07 PM  
25.8814N 84.8089E  
Takia  
Saran  
Bihar



Jul 25, 2022 12:14:37 PM  
25.8814N 84.8090E  
Takia  
Saran  
Bihar



Jul 25, 2022 12:14:41 PM  
25.8814N 84.8089E  
Takia  
Saran  
Bihar



Jul 25, 2022 12:14:22 PM  
25.8814N 84.8089E  
Takia  
Saran  
Bihar



Jul 25, 2022 12:12:38 PM  
25.8815N 84.8091E  
Takia  
Saran  
Bihar



Jul 25, 2022 12:13:26 PM  
25.8814N 84.8090E  
Warsi Bridge Road  
Takia  
Saran  
Bihar



Jul 25, 2022 12:14:58 PM  
25.8814N 84.8089E  
Takia  
Saran  
Bihar